

Form No. III

फर्द—अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

मुकाम चित्तौड़गढ़

सुभाष चन्द्र बैरागी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अधिशाषी अभियंता जन.
स्वा. अभि. विभाग खण्ड जिला चित्तौड़गढ़

कार्यवाही अन्तर्गत :-

धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

किस्म मुकदमा	अपील (सूचना का अधिकार)	नं०	076	सन्	2025
--------------	------------------------	-----	------------	-----	-------------

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.09.2025	<p>सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील प्राप्त हुई जो पेश हुई। अपीलार्थी सुभाष चन्द्र बैरागी निवासी किशनदास बैरागी की बगीची, अशोक नगर चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) ने सूचना प्राप्त हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के जिले के विभिन्न लोक सूचना अधिकारी एवं अधिशाषी अभियंता जन. स्वा. अभि. विभाग जिला चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत आवेदन पत्रों के संबंध में संबंधित लोक सूचना अधिकारीगणों के विनिश्चय से व्यथित होकर अपने समेकित अपील आवेदन-अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी को वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध नहीं कराने से अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत हस्तगत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन के साथ संबंधित लोक सूचना अधिकारीगणों के पत्रांक/1850-51 दिनांक 14.08.2025, 1848-49 दिनांक 14.08.2025, 739-40 दिनांक 18.08.2025, 737-38 दिनांक 18.08.2025, 714-15 दिनांक 29.07.2025, 718-19 दिनांक 29.07.2025 व 703-04 दिनांक 28.07.2025 की प्रतियां प्रस्तुत की गई है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज यथा अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत मूल आवेदन पत्रों की प्रति भी प्रस्तुत नहीं की गई है। यहाँ उल्लेखनीय है कि यह प्रथम अपीलीय न्यायालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही प्रथम अपील ग्रहण करता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा तहत जिले के विभिन्न लोक सूचना अधिकारी एवं अधिशाषी अभियंता जन. स्वा. अभि. विभाग जिला चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है एवं तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अधिशाषी अभियंता जन. स्वा. अभि. विभाग जिला चित्तौड़गढ़ लोक सूचना अधिकारी(राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते है। ऐसी स्थिति में तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अधिशाषी अभियंता जन. स्वा. अभि. विभाग जिला चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत अपील की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः हस्तगत प्रथम अपील क्षेत्राधिकारिता को बिन्दु पर इस न्यायालय में पोषणीय नहीं होना पाया जाता है। अतः अपीलार्थी को संबंधित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के यहां नियमानुसार मय वांछित दस्तावेजात के पृथक-पृथक अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपर्युक्त विश्लेषण के साथ के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से खारीज की जाती है, अपीलार्थी को सक्षम संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। अहकाम की प्रतिलिपि अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक के निःशुल्क प्रेषित की जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इब्दाज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें।</p>	



-S/D-
(आलोक रंजन)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़
17.09.2025